संजय सिंह–I
एच0जे0एस0
सदस्य सचिव

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांदा, मैनपुरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, कुशीनगर (पडरौना), बहराइच, सुल्तानपुर, उन्नाव, चन्दौली, रामपुर, बाराबंकी, हरदोई, देवरिया, एटा, इटावा, बदायूँ, ललितपुर, सीतापुर, बिजनौर, बलरामपर, कन्नौज, बलिया, अम्बेडकरनगर, भदोही, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्वनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, अमरोहा, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महराजगंज, महोबा, मऊ, श्रावस्ती, सिद्वार्थनगर, सोनभद्र, औरैया, बागपत, सन्तकबीर नगर एवं कासगंज।

पत्रांकः 1228/एसएलएसए–5/2002(पीएस) दिनांकः अप्रैल 11, 2023

विषयः **48 जनपदों में गठित स्थायी लोक अदालत में पेशकार, आशुलिपिक एव चपरासी के पद पर संविदा के आधार पर नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।**

महोदया/महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि उ0प्र0 शासन द्वारा द्वितीय एवं तृतीय चरण में उपरोक्त जनपदों में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया था। इस संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुसार, उपरोक्त जनपदों में गठित स्थायी लोक अदालतों में पेशकार, आशुलिपिक एवं चपरासी के पदों पर जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट के, सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति अधिकतम 02 वर्ष के लिए जाती है।

उक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में, माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्न सदस्यों की चयन समिति गठित करके नियुक्ति प्रकिया संपादित करने एवं राज्य प्राधिकरण को तदोपरान्त चयनित सेवानिवृत्त कर्मियों के नाम की संस्तुति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है:–

1. **जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण**
2. **अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत के अनुपस्थित होने पर जनपद न्यायालय में तैनात वरिष्ठतम अपर जिला जज)**
3. **सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण**

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जनपदों में गठित स्थायी लोक अदालतों में पेशकार, आशुलिपिक एवं चपरासी के पदों पर जिला न्यायालय अथवा कलेक्ट्रेट के, सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति अधिकतम 02 वर्ष के लिए किये जाने हेतु माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के उपरोक्त निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

12-4-2023

भवदीय

(संजय सिंह–I)
सदस्य सचिव

जिला जज/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिक...

प्रतिलिपि–अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय सिंह–I)
सदस्य सचिव

सुदीप कुमार जायसवाल
एच0जे0एस0
सचिव

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

अपर जिला जज / सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
उन्नाव।

पत्र संख्याः: 1278 / एसएलएसए–23 / 2016 दिनांकः: अप्रैल 17,2023

विषयः– **स्थायी लोक अदालत,उन्नाव में आशुलिपिक,पेशकार तथा चपरासी की नियुक्त के सम्बन्ध में**

महोदय,

उक्त विषयक अपने पत्र संख्या –221 / कर्म0चयन / स्था0लो0अदा0 / 2023 दिनांक 27.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा स्थायी लोक अदालत,उन्नाव में रिक्त चपरासी के पद पर नियुक्ति हेतु, दो सदस्यीय समिति(अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत) की संयुक्त संस्तुति से सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री ठाकुर प्रसाद का नाम, इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अब माननीय कार्यपालक अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्न सदस्यों की चयन समिति गठित करके नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादित करने एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को तदोपरान्त चयनित सेवानिवृत्त कर्मियों के नाम की संस्तुति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

1–जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
2–अध्यक्ष,स्थायी लोक अदालत(अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत के अनुपस्थित होने पर जनपद न्यायालय में तैनात वरिष्ठतम अपर जिला जज)
3–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुसार चयन प्रक्रिया हेतु पुनः तीन सदस्यीय समिति गठित करवाते हुए,चयनित सेवानिवृत्त कर्मचारी के नाम की संस्तुति करके,राज्य प्राधिकरण को प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुदीप कुमार जायसवाल)
सचिव

पत्रांक व दिनांक समांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–अध्यक्ष / जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,उन्नाव।
2–अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत,उन्नाव।

जिला जज / अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
उन्नाव

S.K. Jaiswal
17.04.2023
(सुदीप कुमार जायसवाल)
सचिव

तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ-226001
फोन (का0) : 2286395, 2286265 (फैक्स) : 0522-2286260, 2287972 ई-मेल : upslsa@up.nic.in वेब साइट : www.upslsa.up.nic.in

Lee 18/4/23

सुदीप कुमार जायसवाल
एच0जे0एस0
सचिव

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
उन्नाव।

पत्र संख्याः: 1278/एसएलएसए–23/2016 दिनांकः: अप्रैल 17,2023

विषयः– **स्थायी लोक अदालत,उन्नाव में आशुलिपिक,पेशकार तथा चपरासी की नियुक्त के सम्बन्ध में**

महोदय,

उक्त विषयक अपने पत्र संख्या –221/कर्म0चयन/स्था0लो0अदा0/2023 दिनांक 27.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा स्थायी लोक अदालत,उन्नाव में रिक्त चपरासी के पद पर नियुक्ति हेतु, दो सदस्यीय समिति(अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत) की संयुक्त संस्तुति से सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री ठाकुर प्रसाद का नाम, इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अब माननीय कार्यपालक अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्न सदस्यों की चयन समिति गठित करके नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादित करने एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को तदोपरान्त चयनित सेवानिवृत्त कर्मियों के नाम की संस्तुति किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

1–जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

2–अध्यक्ष,स्थायी लोक अदालत(अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत के अनुपस्थित होने पर जनपद न्यायालय में तैनात वरिष्ठतम अपर जिला जज)

3–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के निर्देशों के अनुसार चयन प्रक्रिया हेतु पुनः तीन सदस्यीय समिति गठित करवाते हुए,चयनित सेवानिवृत्त कर्मचारी के नाम की संस्तुति करके,राज्य प्राधिकरण को प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

S.K. Jaiswal
17.04.2023

(सुदीप कुमार जायसवाल)
सचिव

पत्रांक व दिनांक समांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,उन्नाव।

2–अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत,उन्नाव।

(सुदीप कुमार जायसवाल)
सचिव

विज्ञप्ति / सूचना

दिनांक 20.04.2023

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं0 1228 / एसएलएस–5 / 2002 (पीएस) दिनांकित 11.04.2023 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक सं0 1278 / एसएलएस–23 / 2016 दिनांकित 17.04.2023 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद उन्नाव में स्थित स्थायी लोक अदालत में निम्नलिखित पदों पर जिला न्यायालय / कलेक्ट्रेट से सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो, के आवेदन निर्धारित संलग्न प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते है–

क्रम.स.	पदनाम	संख्या	मानदेय
1.	पेशकार	एक पद	रू0 9000 / –मासिक मानदेय
2.	आशुलिपिक	एक पद	रू0 9000 / –मासिक मानदेय
3.	चपरासी	एक पद	रू0 7000 / –मासिक मानदेय

स्थायी लोक अदालत में उपरोक्त पेशकार, आशुलिपिक एवं चपरासी के पद पर निर्धारित मानदेय पर अधिकतम 2 वर्ष के लिये, कार्य करने के इच्छुक जिला न्यायालय / कलेक्ट्रेट के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो आवेदन पत्र दिनांक 10.05.2023 सांय 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्रो की सत्यापित छायाप्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करे।

नोटः–

1. आशुलिपिक के लिये कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक है।
2. पेंशकार के लिये कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक है।

संलग्न– आवेदन पत्र का प्रारूप

नोटिस की प्रति जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट, स्थायी लोक अदालत व कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव के नोटिस बोर्ड पर मय प्रारूप व पत्र दिनांकित 11.04.2023 तथा 17.04.2023 की प्रति सहित चस्पा की जावे।

20.4.23

अपर जिला जज / सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
उन्नाव

फोटोग्राफ

प्रारूप

आवेदक का नाम	
पिता का नाम	
पत्र–व्यवहार का पता	
स्थायी पता	
मोबाइल नम्बर	
पूर्व नियुक्ति पद	
शैक्षिक योग्यता	
सेवानिवृत्त की तिथि	
जन्मतिथि	
पिछली नियुक्ति के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र	
कम्प्यूटर ज्ञान के सम्बन्ध में प्रमाण का विवरण	
कोई अपराधिक वाद लंबित हो तो उसका विवरण	

दिनांकः–

स्थानः–

हस्ताक्षर
(आवेदक)

घोषणा–

मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना
सत्य है कोई बात छिपाई नहीं गई है।
यदि कोई सूचना गलत पायी गयी तो
मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाय।

हस्ताक्षर
(आवेदक)